

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक प.14(212)RSSB/अर्थना/राजसेस संविदा भर्ती/2026

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

विज्ञापन संख्या 06/2026

—:: राजस्थान कॉलेज ऐजुकेशन सोसाइटी (Raj-CES) के टीचिंग एसोसियेट (संविदा आधारित) पदों हेतु सीधी

भर्ती-2026 :-

राजस्थान कॉलेज ऐजुकेशन सोसाइटी हेतु राजस्थान कॉलेज ऐजुकेशन सोसाइटी (Raj-CES) हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल्स 2023 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत टीचिंग एसोसियेट के निम्नलिखित पदों (संविदा आधारित पद) पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यक्षीन ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं. / पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या	सेवा नियम
1.	टीचिंग एसोसियेट (कम्प्यूटर विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	58	राजस्थान कॉलेज ऐजुकेशन सोसाइटी (Raj- CES) हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल्स 2023
2.	टीचिंग एसोसियेट (चित्रकला) (संविदा आधारित पद)	36	
3.	टीचिंग एसोसियेट (अर्थशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	121	
4.	टीचिंग एसोसियेट (अंग्रेजी) (संविदा आधारित पद)	314	
5.	टीचिंग एसोसियेट (भूगोल) (संविदा आधारित पद)	365	
6.	टीचिंग एसोसियेट (हिन्दी) (संविदा आधारित पद)	393	
7.	टीचिंग एसोसियेट (इतिहास) (संविदा आधारित पद)	355	
8.	टीचिंग एसोसियेट (गृह विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	104	
9.	टीचिंग एसोसियेट (राजनीति विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	339	
10.	टीचिंग एसोसियेट (लोक प्रशासन) (संविदा आधारित पद)	74	
11.	टीचिंग एसोसियेट (संस्कृत) (संविदा आधारित पद)	150	
12.	टीचिंग एसोसियेट (समाजशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	185	
13.	टीचिंग एसोसियेट (उर्दू) (संविदा आधारित पद)	32	
14.	टीचिंग एसोसियेट (वनस्पति शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	85	
15.	टीचिंग एसोसियेट (रसायन शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	103	
16.	टीचिंग एसोसियेट (गणित) (संविदा आधारित पद)	90	
17.	टीचिंग एसोसियेट (भौतिक शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	85	
18.	टीचिंग एसोसियेट (प्राणी शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	95	
19.	टीचिंग एसोसियेट (ए.बी.एस.टी) (संविदा आधारित पद)	30	
20.	टीचिंग एसोसियेट (व्यावसायिक प्रशासन) (संविदा आधारित पद)	30	
21.	टीचिंग एसोसियेट (ई.ए.एफ.एम.) (संविदा आधारित पद)	30	
22.	टीचिंग एसोसियेट (विधि) (संविदा आधारित पद)	33	
23.	टीचिंग एसोसियेट (उद्यान विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	44	
24.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि अभियान्त्रिकी) (संविदा आधारित पद)	43	
25.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि अर्थशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	43	
26.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि विस्तार एवं संचार) (संविदा आधारित पद)	44	
27.	टीचिंग एसोसियेट (सस्य विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	43	
28.	टीचिंग एसोसियेट (पशु विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	43	
29.	टीचिंग एसोसियेट (कीट विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	43	

30.	टीचिंग एसोसियेट (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) (संविदा आधारित पद)	43	
31.	टीचिंग एसोसियेट (पादप रोगविज्ञान) (संविदा आधारित पद )	43	
32.	टीचिंग एसोसियेट (मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन) (संविदा आधारित पद)	44	
<b>कुल पद</b>			<b>3540</b>

### विशेष नोट :-

1. "राजसेस हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल्स 2023" नियमों के अंतर्गत सृजित पदों पर प्रथम संविदा नियुक्ति अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा सोसायटी की अवधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी। तथापि, यदि सोसायटी की अवधि में विस्तार किया जाता है, तो सोसायटी आवश्यकतानुसार तथा संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उपरांत, संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति को उस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा, जिस तिथि को संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। उक्त हेतु पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किये जायेंगे।"
2. सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त सभी संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना/प्रत्याहारित करने का अधिकार होगा और इन पदों के नियम एवं शर्तों को संशोधन करने का अधिकार होगा।
3. सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसे राजकीय सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से पृथक किया हुआ नहीं होना चाहिए।
5. ऐसे अभ्यर्थी उक्त भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनैतिक आचरण के किसी भी मामले में दोषी सिद्ध पाया गया हो।
6. विज्ञापन में दर्शायी गयी शर्तें और कार्य का विवरण प्रतीकात्मक है और सक्षम प्राधिकारी को कार्यक्रम के हित में इसमें परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार होगा।
7. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापित को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी अवज्ञा पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**1. आवेदन प्रक्रिया :-** बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे जिन्हें राज्य के अधिकृत/निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एस.एस.ओ पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरांत Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR (One Time Registration) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR (One Time Registration) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। **अतः अभ्यर्थी OTR (One Time Registration) प्रक्रिया को सावधानी से भरें।** OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा।

बोर्ड द्वारा, ऑनलाईन आवेदन पत्र में, शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियाँ भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। **इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञापित एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें।**

OTR डेशबोर्ड के ODV सेक्शन में अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता का चुनाव सावधानीपूर्वक करें। भर्ती विज्ञापित में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेक्शन में अपलोड किए जायेंगे। **आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उसकी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती विज्ञापित नियमों के अनुरूप हैं तदुपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें।** स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेजों की, भर्ती विज्ञापित नियमों के अनुरूपता एवं सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी भी स्तर पर प्रदान की गयी जानकारी गलत,

अपूर्ण या भ्रामक पायी जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी अवज्ञा पाये जाने पर उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 एवं भर्ती/विज्ञप्ति नियमों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन भरने से पूर्व OTR (One Time Registration) को जांच ले और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है आवेदन भरने पूर्व ही उसका सुधार कर लेवे OTR सेक्शन में दर्ज प्रविष्टियों को Recruitment Portal(<https://recruitment.rajasthan.gov.in/frequentlyaskedquestions>) पर जारी FAQ एवं User manual का अध्ययन आवश्यक रूप से कर केवल प्रथम बार स्वयं संशोधित कर सकेंगे।

OTR में प्रथम बार संशोधन के अवसर का लाभ ले लिए जाने के पश्चातवर्ती सभी संशोधन हेतु एवं अभ्यर्थी को डॉक्युमेंट डिटेल सेक्शन में यदि अपनी नवीन शैक्षणिक योग्यता जोड़नी है तो यह स्वयं जोड़ सकेगा परन्तु यदि उसके द्वारा पूर्व में किसी शैक्षणिक योग्यता को दर्ज करने में त्रुटि कर दी गई है और वह उसे ठीक करना चाहता है तो अभ्यर्थी प्रथम बार स्वयं Edit/Delete बटन पर क्लिक करके संबंधित शैक्षणिक योग्यता के विवरण को संशोधित कर सकता है या उस शैक्षणिक विवरण को हटाकर पुनः सही विवरण दर्ज कर सकता है। (केवल एक बार संशोधन Edit की सुविधा उपलब्ध है।) अभ्यर्थी अतिरिक्त सहायता हेतु recruitment portal (<https://recruitment.rajasthan.gov.in/frequentlyaskedquestions>) पर अपलोड किये गये FAQ एवं User manual का अध्ययन करें। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शैक्षणिक योग्यता को अत्यंत सावधानी के साथ भरें।

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेंगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएँ अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की ही गलती माना जावेगा। आवेदन पत्र को Final Submit करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जेनरेट हो जायेगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। अभ्यर्थी को एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

- I. अभ्यर्थी एकबारीय पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction के लम्बित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- II. अभ्यर्थी स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं स्वयं की ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे नहीं बदलें। ज्ञातव्य रहे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक स्वयं की SSO ID से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दूसरी SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- III. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन का Submit होना नहीं माना जायेगा।
- IV. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- V. आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail- [ITCELL.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:ITCELL.RSSB@RAJASTHAN.GOV.IN) तथा RECRUITMENTHELPDESK@RAJASTHAN.GOV.IN पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2922241/2922238 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- VI. अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं/शिकायतों को ईमेल द्वारा [pg.rssb@rajasthan.gov.in](mailto:pg.rssb@rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन भिजवा सकते हैं।
- VII. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

VIII. समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट [rssb.rajasthan.gov.in](http://rssb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जायेगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें। अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।

2. **एकबारीय पंजीयन शुल्क**:-कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली (One Time Registration) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करावें।  
 (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -**रूपये 600/-**  
 (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -**रूपये 400/-**  
 (ग) समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु -**रूपये 400/-**

नोट:-

- 1-राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 2-पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 3-कार्मिक विभाग (क-2) द्वारा परिपत्र क्रमांक-प.8(3)कार्मिक/क-2/2023-04443 दिनांक 09.05.2025 के क्रम में अभ्यर्थियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेन्सी द्वारा एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल-31 मार्च) में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा अर्थात् एकबारीय पंजीयन (OTR) सुविधा को प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पैनल्टी शुल्क 750/- रूपये देकर अपना एकबारीय पंजीयन शुल्क (OTR) पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती-परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित (Block) कर दिया जायेगा तथा वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पैनल्टी शुल्क दोगुना यानि 1500/- रूपये नहीं चुका देता। अतः उक्तानुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

### 3. टीचिंग एसोसियेट संविदा आधारित रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

#### (01) टीचिंग एसोसियेट (कम्प्यूटर विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-01

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
58	17	5	2	0	7	2	0	0	5	1	0	0	9	2	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)														
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी				भूतपूर्व सैनिक						
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS		
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

RajKaj Ref No: 21885412

eSign DSC

**(02) टीचिंग एसोसियेट (चित्रकला) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-02**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
36	12	3	1	0	4	1	0	0	3	1	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(03) टीचिंग एसोसियेट (अर्थशास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-03**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
121	33	9	4	0	14	4	1	0	10	3	1	0	18	5	2	0	5	1	0	0	8	2	1	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0

**(04) टीचिंग एसोसियेट (अंग्रेजी) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-04**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
314	82	23	9	2	35	10	4	1	26	8	3	0	46	13	5	1	11	3	1	0	22	7	2	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)													
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
4	3	3	3	0	0	0	5	2	1	3	0	1	

**(05) टीचिंग एसोसियेट (भूगोल) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-05**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
365	94	27	11	2	41	12	4	1	31	9	3	0	54	15	6	1	13	4	1	0	26	7	3	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)													
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
4	4	4	3	0	0	0	6	2	2	3	0	1	

**(06) टीचिंग एसोसियेट (हिंदी) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-06**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
393	101	29	12	2	44	12	5	1	33	10	4	0	58	17	6	1	14	4	1	0	28	8	3	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
4	4	4	4	0	0	0	7	3	2	4	0	1

**(07) टीचिंग एसोसियेट (इतिहास) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-07**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
355	92	27	10	2	40	11	4	1	30	9	3	0	52	15	6	1	12	4	1	0	25	7	3	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
4	4	4	3	0	0	0	6	2	2	3	0	1

(08) टीचिंग एसोसियेट (गृह विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-08

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
104	28	9	3	0	12	3	1	0	9	2	1	0	15	5	1	0	4	1	0	0	7	2	1	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
2	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0

(09) टीचिंग एसोसियेट (राजनीति विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-09

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
339	88	25	10	2	38	11	4	1	28	9	3	0	50	15	5	1	12	3	1	0	24	7	2	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
4	4	3	3	0	0	0	6	2	2	3	0	1

**(10) टीचिंग एसोसियेट (लोक प्रशासन) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-10**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
74	21	7	2	0	8	2	1	0	6	2	0	0	11	3	1	0	3	0	0	0	5	2	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

**(11) टीचिंग एसोसियेट (संस्कृत) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-11**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
150	40	12	4	1	17	5	1	0	13	4	1	0	22	7	2	0	5	2	0	0	10	3	1	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
2	2	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0

(12) टीचिंग एसोसियेट (समाजशास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-12

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
185	49	14	5	1	21	6	2	0	16	5	1	0	27	8	3	0	7	2	0	0	13	4	1	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
2	2	2	2	0	0	0	3	1	1	1	0	0

(13) टीचिंग एसोसियेट (उर्दू) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-13

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
32	10	3	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(14) टीचिंग एसोसियेट (वनस्पति शास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-14

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
85	24	7	2	0	10	2	1	0	7	2	1	0	12	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

(15) टीचिंग एसोसियेट (रसायन शास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-15

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
103	28	8	3	0	12	3	1	0	9	2	1	0	15	5	1	0	4	1	0	0	7	2	1	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**(16) टीचिंग एसोसियेट (गणित) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-16**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
90	25	7	3	0	10	3	1	0	7	2	1	0	13	4	1	0	3	1	0	0	7	2	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

**(17) टीचिंग एसोसियेट (भौतिक शास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-17**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
85	24	7	2	0	10	2	1	0	7	2	1	0	12	4	1	0	3	1	0	0	6	2	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

**(18) टीचिंग एसोसियेट (प्राणी शास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-18**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
95	26	7	3	0	11	3	1	0	8	2	1	0	14	5	1	0	3	1	0	0	7	2	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

**(19) टीचिंग एसोसियेट (ए.बी.एस.टी.) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-19**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
30	10	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(20) टीचिंग एसोसियेट (व्यावसायिक प्रशासन) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-20**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
30	10	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(21) टीचिंग एसोसियेट (ई.ए.एफ.एम.) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-21**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
30	10	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(22) टीचिंग एसोसियेट (विधि) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-22

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
33	11	3	1	0	4	1	0	0	3	0	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(23) टीचिंग एसोसियेट (उद्यान विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-23

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
44	13	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(24) टीचिंग एसोसियेट (कृषि अभियांत्रिकी) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-24**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(25) टीचिंग एसोसियेट (कृषि अर्थशास्त्र) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-25**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(26) टीचिंग एसोसियेट (कृषि विस्तार एवं संचार) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-26**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या
44	13	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(27) टीचिंग एसोसियेट (सस्य विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-27**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिचर्या
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(28) टीचिंग एसोसियेट (पशु विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-28

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)													
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(29) टीचिंग एसोसियेट (कीट विज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-29

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)													
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक						
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(30) टीचिंग एसोसियेट (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-30**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(31) टीचिंग एसोसियेट (पादप रोगविज्ञान) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-31**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
43	12	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(32) टीचिंग एसोसियेट (मुदा विज्ञान एवं कृषि रसायन) संविदा आधारित पद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-32**

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता
44	13	4	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	7	2	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)												
दिव्यांगजन				राजकीय कर्मचारी			भूतपूर्व सैनिक					
B/LV	D & H H	LD/CP	I.D./MI/ S.L.D. & AUTISM, MD	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	विभागीय कर्मचारी	GEN	SC	ST	OBC	MBC	EWS
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**नोट:-**

1. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
2. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
3. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व तक कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार राज्य सरकार/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास सुरक्षित है तथा इसे माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
4. संबंधित विभाग से प्राप्त अर्थना के अनुसार उक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण जारी किया गया है।

**विशेष सूचना:-**

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
2. कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्तर्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्तियां पश्चात्तर्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
3. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:-** किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग

के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु महिला अभ्यर्थियों हेतु पति एवं पिता के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

5. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यदि विज्ञापित पदों के लिये पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा श्रेणी के लिये आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध ना होने की दशा में उनके लिये उक्त आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिये रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिये उक्त आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिये अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा।**
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.विशेष अपील (रिट्स) संख्या 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात् अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। अन्य राज्य की किसी भी श्रेणी की महिला का राजस्थान में विवाह होने के उपरान्त राजस्थान का मूल निवास एवं EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए पात्र माना जावेगा।
7. **अति पिछड़ा वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
9. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य छूट का लाभ नहीं उठाया है।**
10. राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिये सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
11. **बारां जिले की सहरिया आदिम जाति** हेतु विभागीय मत अनुसार राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार राज्य सेवाओं में लागू नहीं होने से आरक्षण का प्रावधान देय नहीं है।
12. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-**
  - (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
  - (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
    - (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।
    - (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे पश्चातवर्ती नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
  - भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों एवं संबंधित विभाग के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए उक्त पदों हेतु नियमानुसार 05 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार (क्षैतिज) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।

- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5(18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
- 'कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।'
- "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";
- भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।
- यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।
- किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र/वचन बंधपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

13. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नियमानुसार संबंधित विभागीय मत अनुसार उक्त पदों के लिये उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

14. दिव्यांगजन (विशेष योग्यजन) के लिये :-

a- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 (यथा संशोधित)के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजन श्रेणियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा :-

क्र.सं.	समूह	देय आरक्षण प्रतिशत
1.	<b>B/LV (Blindness/ Low vision)</b>	01 प्रतिशत
2.	<b>Deaf and Hard Hearing</b>	01 प्रतिशत
3.	<b>LD/CP(Locomotor Disability Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims &amp; Muscular dystrophy)</b>	01 प्रतिशत
4.	<b>1- Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability &amp; Mental Illness. 2-Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities</b>	01 प्रतिशत

b- दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

d- दिव्यांगजन आवेदक OTR में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र/मिसमेच दिव्यांग प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/ डिबार किया जायेगा।**

e- ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

f- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।"

g- कार्मिक (क-2) विभाग के राजकाज क्रमांक 17019339 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाइडलाईन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः उक्त भर्ती में दिव्यांगजनों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में **UDID** कार्ड को वैध प्रमाण (Valid Proof) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में **UDID Registration/card** का विवरण भरना होगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार संबंधित विभागीय मतानुसार उक्त पदों के लिये अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

**5. मानदेय:-** टीचिंग एसोसियेट (संविदा आधारित) पद हेतु 28850/- (फिक्स) पारिश्रमिक देय होगा। मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

क्र.सं.	पद का नाम	फिक्स मासिक पारिश्रमिक
1.	टीचिंग एसोसियेट (कम्प्यूटर विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	28850 /- प्रतिमाह
2.	टीचिंग एसोसियेट (चित्रकला) (संविदा आधारित पद)	
3.	टीचिंग एसोसियेट (अर्थशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
4.	टीचिंग एसोसियेट (अंग्रेजी) (संविदा आधारित पद)	
5.	टीचिंग एसोसियेट (भूगोल) (संविदा आधारित पद)	
6.	टीचिंग एसोसियेट (हिन्दी) (संविदा आधारित पद)	
7.	टीचिंग एसोसियेट (इतिहास) (संविदा आधारित पद)	
8.	टीचिंग एसोसियेट (गृह विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
9.	टीचिंग एसोसियेट (राजनीति विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
10.	टीचिंग एसोसियेट (लोक प्रशासन) (संविदा आधारित पद)	
11.	टीचिंग एसोसियेट (संस्कृत) (संविदा आधारित पद)	
12.	टीचिंग एसोसियेट (समाजशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
13.	टीचिंग एसोसियेट (उर्दू) (संविदा आधारित पद)	
14.	टीचिंग एसोसियेट (वनस्पति शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
15.	टीचिंग एसोसियेट (रसायन शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
16.	टीचिंग एसोसियेट (गणित) (संविदा आधारित पद)	
17.	टीचिंग एसोसियेट (भौतिक शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
18.	टीचिंग एसोसियेट (प्राणी शास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
19.	टीचिंग एसोसियेट (ए.बी.एस.टी) (संविदा आधारित पद)	
20.	टीचिंग एसोसियेट (व्यावसायिक प्रशासन) (संविदा आधारित पद)	
21.	टीचिंग एसोसियेट (ई.ए.एफ.एम.) (संविदा आधारित पद)	
22.	टीचिंग एसोसियेट (विधि) (संविदा आधारित पद)	
23.	टीचिंग एसोसियेट (उद्यान विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
24.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि अभियान्त्रिकी) (संविदा आधारित पद)	
25.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि अर्थशास्त्र) (संविदा आधारित पद)	
26.	टीचिंग एसोसियेट (कृषि विस्तार एवं संचार) (संविदा आधारित पद)	
27.	टीचिंग एसोसियेट (सस्य विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
28.	टीचिंग एसोसियेट (पशु विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
29.	टीचिंग एसोसियेट (कीट विज्ञान) (संविदा आधारित पद)	
30.	टीचिंग एसोसियेट (आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन) (संविदा आधारित पद)	
31.	टीचिंग एसोसियेट (पादप रोगविज्ञान) (संविदा आधारित पद )	
32.	टीचिंग एसोसियेट (मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन) (संविदा आधारित पद)	

**विशेष नोट:-**

01. "राजसेस हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल्स 2023" में वर्णित प्रावधान के अनुसार "प्रस्तावित संविदा पद पर नियुक्ति स्वीकार करने वाले अभ्यर्थी को संविदा अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार, मासिक स्थिर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा।"

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

S. No.	Name of contractual Post	Minimum qualification and experience for hiring on direct contractual post	Remarks
1	2	3	4
<b>Teaching wing</b>			
1.	Teaching Associate	<p><b>For the Disciplines of Arts, Commerce, Humanities, Education, Law, Social Sciences, Sciences, Languages and Journalism &amp; Mass Communication.</b></p> <p><b>A. (i)</b> A Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.</p> <p><b>(ii)</b> Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET :</p> <p>Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/ Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions :-</p> <p>(a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;</p> <p>(b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;</p> <p>(c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;</p> <p>(d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;</p> <p>(e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.</p> <p>The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.</p> <p>Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which</p>	<p>A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/More Backward Classes /Backward Classes(BC) (Non-creamy Layer)/Differently-abled((a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness) for the purpose of eligibility and assessing good academic record for hiring on direct contractual post. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the</p>

	<p>NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p><b>B.</b> The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following:  (i) Quacquarelli Symonds (QS)  (ii) the Times Higher Education (THE) or  (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).</p>	<p>relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure</p>
--	---	--

और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,— उपलब्ध संविदा पदों के अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले संभावित उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जाएगा।

**नोट:-**

01. इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की **परीक्षा की तिथि तक** अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा की प्रारंभिक तिथि तक के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
02. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय OTR डैशबोर्ड पर document details section में शैक्षणिक योग्यता के सीनियर सैक्रेण्डरी/स्नातक के कॉलम में रोल नम्बर के स्थान पर 'Not Applicable' एवं परिणाम में Grade का चयन कर 'N' Grade अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

**अन्य योग्यताएँ :-**

- (1) **स्वास्थ्य:-** उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। अभ्यर्थी को चयनोपरान्त इसके लिये अपना आरोग्य प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- (2) **चरित्र :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा प्रदत्त नहीं हो।

## 7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या  
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या  
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

**नोट:-**परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## 8. आयु:-विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 01.01.2027 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।

**उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-**

### 1. अधिकतम आयु सीमा में -

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

### 2. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

**स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

### 3. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है यहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को मिलेगा।

### 4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार ऊपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

**नोट:-**

1. आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये उपरोक्त सेवा नियमों (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

2. उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 03 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 03 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

## 9. विवाह पंजीयन:-शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

## 10. पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- (क) यदि आवेदक द्वारा OTR (One Time Registration) का एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 05.05.2026 से दिनांक 03.06.2026 रात्रि 23.59 बजे तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

## 11. परीक्षा आयोजन :-

बोर्ड द्वारा टीचिंग एसोसियेट (संविदा आधारित पद) के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित माह अगस्त/सितम्बर/अक्टूबर 2026 में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)/टेबलेट आधारित परीक्षा (TBT)/ऑफलाईन (ओ.एम. आर.) आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

## 12. प्रवेश पत्र:-

समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा ऑनलाईन प्रवेश-पत्र SSO Login पर एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> पर जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र SSO login एवं Recruitment Portal के लिंक <https://recruitment.rajasthan.gov.in/rectlogingetadmitcard> से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें।

## 13. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में:-

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए। आवेदक को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करनी होगी।

## 14. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु
  - i. दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती है।
  - ii. जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

- iii. किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
  - iv. कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
  - v. इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।
- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

## 15. आवेदन कैसे करें:-

**आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।**

**नोट-** राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

### कृपया ध्यान दें:-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र Final Submit करने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।
5. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

6. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई हैं अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में पृथक से विज्ञप्ति जारी कर आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कर दिया जावेगा। उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते मय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7. **OTR में लाईव फोटोग्राफ Capture करने के लिए दिशा-निर्देश:-**

**ऑनलाईन आवेदन में आवेदक की लाईव फोटो, हस्ताक्षर (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं अंगूठा निशानी ओटीआर से स्वतः FETCH होगी।**

**लाइव फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
- आवेदक को **OTR में लाईव फोटो Capture** किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी का लाईव फोटो ओटीआर से ही आवेदन पत्र पर **FETCH** होगी।
- लाइव फोटो के लिये 5 सेकण्ड के Timer के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक दो-तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बन्द आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
- फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो।
- अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि (**Enlightened Background**) के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय (**Blurred/Dark**) नहीं है।
- जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार **Final Submit** किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।
- फोटो की पृष्ठभूमि (**Background**) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- आवेदक द्वारा **OTR में लाईव फोटो** को फोटो एडिटर एप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

8. **ओटीआर में स्केन्ड हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी (Thumb Impression) अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी मान्य नहीं होगा।

- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी करने के बाद इमेज को स्केन कर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अलग-अलग यथास्थान अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपलोडेड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी स्तर पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280×80 से अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- स्केण्ड हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात् अपने बायें हाथ की अंगूठा निशानी यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं हो तो दायें हाथ की अंगूठा निशानी अपलोड की जानी है।

#### विशेष टिप्पणी:-

- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो (01 माह से अधिक पुराना न हो), एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

**16. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-** बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अपना ऑनलाईन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी को निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

- अभ्यर्थी का नाम
- पिता का नाम
- जन्म तिथि
- स्वयं का फोटोग्राफ व हस्तलिपि नमूना, अंगूठा का निशान एवं हस्ताक्षर

बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2023 में अंकित किया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपने OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग का परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार/जनआधार में परिवर्तन करवाना होगा तत्पश्चात् OTR स्क्रीन पर फेच का बटन दबाना होगा जिससे आधार/जनआधार में दर्ज नवीन डाटा उसके OTR में स्वतः ही आ जायेगा। अभ्यर्थी को अपने OTR में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांगजन श्रेणी एवं मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गयी है। अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन भरें।

ऑनलाईन आवेदनों में संशोधन किए जाने की अनुमत अवधि में, एडिटिंग प्रक्रिया के दौरान ऑनलाईन आवेदन में, OTR डैशबोर्ड से आई हुई प्रविष्टियों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा एडिट हेतु अनुमत की गयी अन्य प्रविष्टियां अभ्यर्थी स्वयं संशोधित कर सकेगा।

### **Checklist देखने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-**

अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर Recruitment Portal का चयन करें और “My Recruitment सेक्शन के अंतर्गत “ Checklist “ टैब पर क्लिक करें। उक्त भर्ती के सामने उपलब्ध “View Checklist विकल्प पर क्लिक करके वे अपने आवेदित आवेदन पत्र में विवरण की चेकलिस्ट देख सकते हैं। अभ्यर्थी को अपने आवेदित आवेदन पत्र की किसी सूचना में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह बोर्ड द्वारा अनुमत एडिट अवधि में अनुमत प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कर लें।

### **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-**

1. आवेदन पत्र में जो जानकारी OTR से प्राप्त (fetch) हुई है, उसमें संशोधन करने के लिए सबसे पहले OTR प्रोफाइल में सुधार करना आवश्यक है।

2. OTR में जानकारी अपडेट करने के बाद आवेदन पत्र को एडिट करें, ताकि अपडेटेड जानकारी आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो सके, जो जानकारी आवेदन पत्र में OTR से fetched नहीं होती है, उसे सीधे आवेदन पत्र में एडिट किया जा सकता है। OTR में संशोधन हेतु, निम्न लिंक पर उपलब्ध सहायता दस्तावेज (Help Document) का अवलोकन करें:-  
<https://recruitment.rajasthan.gov.in/frequentlyaskedquestions>

ऑनलाईन आवेदन Final Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। शेष सूचनाओं में वह संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

- i. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन बन्द होने की दिनांक के पश्चात 03 दिवस की अवधि में भी आवेदको को अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अनुमति होगी।** आवेदक निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। शेष सभी प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
- ii. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश त्रुटि संशोधन के प्रथम अवसर में अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात 07 दिवस हेतु प्रदान किया जाएगा। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्वयं का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान व हस्तलिपि नमूना तथा शैक्षणिक योग्यता के अलावा शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु इस अवधि की दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान कर संशोधन कर सकेगा।

- iii. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
- iv. **विधवा श्रेणी के अभ्यर्थी:**—ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से विधवा हो जाती है तो उसे परीक्षा के परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, लिंग दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) मय 300/- रुपये शुल्क भुगतान करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा होती है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम (Prospective Effect) से ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यू/पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

### 17. ऑनलाईन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया:—

बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात् संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरान्त भी अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भर दिया है अथवा किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे आवेदकों को परीक्षा आयोजन से लगभग 01 माह पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) करने हेतु 03 दिवस के लिए अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw Button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

### 18. विशेष योग्यजन/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/क्षतिपूरक समय उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में

#### विशेष निर्देश:—

1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन/विशेषयोग्यजन श्रेणी भरे जाने तथा श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।
2. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को **परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व** दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र, श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो बोर्ड/केन्द्राधीक्षक से श्रुतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी का वचन—पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act,2016 के Section-2(r)के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिबाधित (Blindness),लोकोमोटर डिसेबिलिटी एवं सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर,दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण—पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणियों के अलावा Section-2(r) के तहत परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण—पत्र (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं श्रुतलेखक का वचन—पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।

5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s)के तहत परिभाषित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आयोग से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा और/या क्षतिपूरक समय देय नहीं होगा।
6. श्रुतलेखक किसी भी परीक्षा में एक बार ही बैठने हेतु अनुमत होगा। श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण पत्रों का बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करें। वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक संबंधी इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

## **19. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-**

- i. कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2024 द्वारा पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समूचित निर्णय संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।
- ii. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन/ओटीआर में भरी गई शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन/ओटीआर में दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था/विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा को स्वीकार/मान्य नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक सावधानीपूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाईन आवेदन में भरें।
- iii. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है।
- iv. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- v. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:-

“यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखा जावे कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।”

- vi. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-
  - i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
  - ii. क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
  - iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

- vii.** अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- viii.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- ix.** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11(0)/आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
- x.** दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- xi.** भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- xii.** विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
- xiii.** परित्यक्ता/विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री/आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।
- xiv.** शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह-पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।
- xv.** विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xvi.** अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।
- xvii.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।
- xviii.** अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

**xix.** ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा/उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्याग-पत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

**xx.** ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

**xxi.** आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच, परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

**20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रुपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रुपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं। दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

**21. परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-**

**:- संविदा टीचिंग एसोसियेट पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम :-**

**Exam Pattern**

<b>Paper</b>	<b>Subjects</b>	<b>No. of Question</b>	<b>Marks</b>	<b>Time</b>
I	General Studies of Rajasthan	60	75	1 Hour.
II	Subject concerned with the post	120	300	2 Hours.
<b>Total Marks</b>			<b>375</b>	

Note:-

1. The Board shall prepare a list of candidates, on the basis of marks obtained in written examination, whom they consider suitable for appointment to the posts concerned, arranged in order of merit and then the Board shall forward the list to the Government. The Board shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 36% marks in each paper and 40% marks in aggregate of written examination:

Provided that,-

The percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

2. The paper will have Negative Marking and 1/3 will be deducted for each wrong answer.

## पाठ्यक्रम (Syllabus)

### Paper-I

#### **SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE FOR GENERAL STUDIES OF RAJASTHAN**

##### **History, Art, Culture, Literature and Heritage of Rajasthan**

- Ancient Civilizations of Rajasthan with special Reference to Mesolithic (Late Stone Age) sites in Rajasthan i.e. Nimbahera, Bagor and Mandia.
- Major dynasties of Rajasthan and its rulers through the Ages and their cultural achievements (1000-1800 A.D.).
- Political resistance of Rajput rulers against Muslim Power. Special reference to Rattan Singh, Hammir, Kanhad dev and Maldev, Chandrasen and Pratap.
- (i) Bhakti Movement and Sufism in Medieval Rajasthan, Special reference to Mira, Dadu and Khawaja Moin-ud-din Chishty.  
Saints: Special emphasis to be paid to teachings of Ramdevji, Gogaji, Tejaji, Pabuji, Mallinath, Dhanna, Pipa, Haridas, Raidas, Jasnath and other Sects.  
(ii) Folk gods and goddesses.
- Political Awakening and Freedom Movement in Rajasthan: 1857, Peasant and Tribal Movements, Prajamandal Movements, Contribution of Women in Social and Political awakening.
- (i) Folk Culture: Fairs and Festivals, Different Schools of Painting, Folk Tales and Gathas, Folk Songs, Folk Dances, Folk Music and Instruments.  
(ii) Dress and Ornaments, Handicrafts.
- Rajasthani Language: Origin and Development.
- Main Dialects and Region.
- Rajasthani Scripts: Mudia and Devnagari.
- (a) Rajasthani Literature: Its Evolution.  
(i) Early Period  
(ii) Pre-Medieval Period  
(iii) Post- Medieval Period  
(iv) Modern Period.  
(b) Famous Writers and their Works.
- Tourism and Rajasthan: Heritage, Tourism Policy and Vision.

##### **Geography of Rajasthan**

- Physiographic regions, Rivers and lakes.
- Climate, Natural Vegetation, Soil, Minerals and Energy Resources – Renewable and Non-renewable.
- Population – Characteristics, Livestock, Biodiversity and its conservation.
- Production and Distribution of Major crops, Major Irrigation Projects, Major Industries.
- Drought and Famines, Desertification, Environmental Problems, Disaster Management and Pandemics.

## Political and Administrative System of Rajasthan

- Governor, Chief Minister and Council of Ministers.
- State Legislative Assembly, High Court and Judicial System of Rajasthan.
- Rajasthan Public Service Commission, State Election Commission, State Finance Commission, State Human Rights Commission, State Commission for Women, State Information Commission, Lokayukta and Auditor General.
- Chief Secretary, Government Secretariat, Chief Minister's Office (CMO), Divisional Commissioner, District Administration, Institutions of Panchayati Raj and Urban Local-Self Government.
- Government Policies and Right based Citizenship: Right to Information, Guaranteed Delivery of Public Services, Citizen's Charters, Social Audit, Jan Soochna Portal, Rajasthan Sampark Portal etc.

## Economy of Rajasthan

- Characteristics of state economy.
- Occupational distribution.
- Compositional trend of state domestic product.
- Major Sectoral Issues.
  - (i) Agricultural Sector: Characteristics of agricultural sector in Rajasthan. Major rabi and kharif crops with special reference to oil seeds and spices. Irrigated area and trends, Problems of migrant workers and their rehabilitation. Agricultural credit.
  - (ii) Livestock: Trends in livestock population. Milk production in Rajasthan.
  - (iii) Industrial Outlook: Major industries of Rajasthan. Constraints to development of industries. MSMEs in Rajasthan. Roles and problem of small industries. Industrial sickness. Major state public sector enterprises. SEZ in Rajasthan. Role of RIICO and RFC. Agro-processing policy (2020).
  - (iv) Service Sector: Primary education, Development in recent years. Health programmes of state government. Mid-day meal programme. Indira Rasoi Yojana.
  - (v) Infrastructure Development: Progress in national highways, state highways and village roads. Power: Progress in power generation. Recent progress in solar power projects.
  - (vi) Handicrafts of Rajasthan.
  - (vii) Major items of exports from Rajasthan.
  - (viii) Latest major welfare schemes of state government with special reference to economically and socially backward classes, disabled people, old aged people. Steps taken for women empowerment and child development.
  - (ix) Regional economic inequalities in Rajasthan.

## Contemporary Events

- Major Contemporary Events and Issues of Rajasthan.
- Persons and Places in News.
- Sports and Games.

## Paper-II

### **01. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN COMPUTER SCIENCE**

**Unit-1 Computer Organization and Architecture:** Number representation and computer arithmetic (fixed and floating point). Logic functions, Minimization, Design and synthesis of combinational and sequential circuits; Machine instructions and addressing modes, ALU and data-path, CPU and control design, Memory interface, I/O interface (Interrupt and DMA mode), Instruction pipelining, Cache and main memory, Secondary storage.

**Unit-2 Computer Programming:** Programming in C: Functions, Recursion, Parameter passing, Scope, Binding; Abstract data types, Arrays, Stacks, Queues, Linked Lists, Trees, Binary search trees, Binary heaps, File handling. Object-oriented programming: Class, Object, inheritance, polymorphism and overriding, constructors & destructors, overloading, exception handling.

**Unit-3 Software Engineering:** Software development Life Cycle and different models, Information gathering, requirement and feasibility analysis, data flow diagrams, process specifications, input/output design, process life cycle, planning and managing the project, design, coding, testing, implementation, maintenance.

**Unit-4 Operating System:** Main functions and different types of OS. Processes, Threads, Inter-process communication, Concurrency, Synchronization, Deadlock, CPU scheduling, Memory management and virtual memory, File systems. The Unix system: file systems, process Management, Bourne shell, shell variable, command line programming, filters and Unix commands, system calls.

**Unit-5 Computer Networks:** LAN, MAN, WAN, Transmission Media: Guided and unguided, Multiplexing (TDM, FDM, SDM & WDM) and switching techniques, Routing algorithms, Network reference models: OSI Model, TCP/IP Model, TCP/UDP and Sockets, IPv4 / IPv6, DNS , Network Security: Symmetric & Asymmetric Cryptography, Message Digest, Block and Stream Ciphers, One time pad, IP Security, E-Mail Security: PGP, IDS, Firewall.

**Unit-6 Discrete Mathematical Structures:** Counting principles, linear recurrence, mathematical induction, relations and functions, predicate and propositional logic. Graph: Definition and properties, connected graph, cycles & circuits, Tree: rooted tree, spanning trees. Models of Computability: Regular Expressions and Finite Automata. Context free grammars and Push down Automata. Regular and Context free languages, pumping lemma. Turing Machines and undecidability.

**Unit-7 Data Structures and Algorithms:** Analysis, Asymptotic notation, Notions of space and time complexity, Best, Worst and average case analysis; Design: Greedy approach, Dynamic programming, Divide-and conquer; Tree and graph traversals, Spanning tree algorithms, Shortest paths; Hashing, Sorting, Searching. Basic concepts of complexity classes P, NP, NP-hard, NP-complete.

**Unit-8 Database Management System:** ER-model, Relational model (relational algebra, tuple calculus), Database design (integrity constraints, normalization-1NF, 2NF, 3NF, BCNF and

4NF), Structured Query languages (SQL), File structures (sequential files, indexing, B and B+ trees), Transactions and concurrency control.

**Unit-9 System Software:** Assemblers: one pass & two pass assemblers design, Macros & Macro processors, loaders & linkers, Text editors & debuggers, Program generators, Compiler & Interpreter, Different phases of compilation process.

**Unit -10 Emerging Trends and Technologies:** Concept of Parallel Computing (Parallel Virtual Machine and Message passing Interface) Mobile Computing: Cellular system, Handoff, Location Management, Pervasive Computing, WLAN, E-Technologies: E-commerce framework and applications, Business models, electronic payment System: Digital Token, Smart Cards, Credit Cards, risks in e-payment systems. Data Warehousing and Data Mining.

---

## **02. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN DRAWING & PAINTING**

### **Unit-I**

Meaning, Origin & Development and Classification of Arts. Various form of Visual Art and their inter-relationship with other mode of creative expression, e.g. Performing Art and Literature. Material and Method: Application of materials, Support in Painting (Canvas, Paper, Wall Surface, Panels, Mix Media), Oil Painting and its techniques- Traditional and Non- Traditional Techniques of Wall Painting- Traditional (Fresco, Secco and Buono) and Modern. Water Color Painting, Wash technique, Pastal and Crayon, Acrylic color, color preparation and technical aspect of pigment, color theory and color harmony. Nature and Function of Art in the Society. Folk Art Tradition: Rajasthan (Mandna, Pichhwai, Phad and Kavad Painting); Odisha and Bengal (Patachitra), Bihar (Madhubani painting), Gujrat (Pithora painting) and Maharashtra (Warli painting).

### **Unit – II**

History of Indian Art –Pre-historic Painting in India, Indus Valley Civilization, Wall Painting of Jogimara, Ajanta, Bagh, Badami and Sittanavasal. Manuscript painting tradition of pala and western India. Tradition of Miniature Painting: Mughal, Rajasthani, Pahari (Basoli and Guler-Kangra) and Deccan painting (Ahmednagar, Bijapur and Golconda). A comprehensive study of early Indian sculptors from Indus Valley to Gupta period- Maurya, Shung, Satavahana, Kushan and Gupta Dynasty.

### **Unit – III**

Artist of Rajasthan - RamgopalVijayvargia, Kripal Singh Shekhawat, Goverdhan Lal Joshi, Bhoor Singh Shekhawat, Devki Nandan Sharma, Parmanand Choyal, Bhawani CharanGue, Dwarka Prasad Sharma, Ram Jaiswal, Suresh Sharma, Mohan Sharma, Jyoti Swaroop, R.V. Sakhalkar, C.S. Mehta, Bhawani Shankar Sharma, Sumahendra Sharma, ShailChoyal, Nathulal Verma, Vidhyasagar Upadhyay, Samander Singh Khangarot.

### **Unit – IV**

Major Phases in Western Painting- Prehistoric Painting (France and Spain), Egyptian, Aegean Art, Greek Art and Roman Art, Byzantine, Gothic, Renaissance, Baroque and Rococo style of Painting.

### **Unit – V**

Eastern Concept of Beauty- Concept of Beauty in Veda and Upanishads, Pandit Yashodhara's Theory of Shadanga, Vishnu Dharmottar Purana, Concept of Ras-Sutra in Natya Shastra and its commentaries. Theory of Rasa, Sadharanikarana of Bharat Muni, Bhatt Lolatt, Shankuk, Bhattnayak, Abhinav Gupt, Contribution of Rabindra Nath Tagore and A.K. Coomarswami towards Indian Aesthetics.

## **Unit – VI**

Fundamental Elements of Visual Art (Line, Form, Colour, Tone, Texture, Space, Shape, Perspective, Design etc). Principles of Composition – Unity, Harmony, Balance, Emphasis or Dominance, Rhythm, Proportion, Contrast and foreshortening, etc. Creative Process: (Observation Perception. Imagination, Expression). Six Canons of Painting- In Indian and Chinese Painting.

## **Unit –VII**

Major Trends in Indian Art- Company school of Painting, Advent of Modernism with Raja Ravi Verma.

Bengal School: Abanindranath Tagore and his Disciples, Nandlal Bose and his Disciples. Breakthrough in Indian Painting: Contribution of Amrita Shergil, Progressive Artist Group Bombay and Calcutta Group-Calcutta, Shilpi Chakra-Delhi, Chola Mandal-Madras and Baroda

School- Baroda.Famous Artists and Sculptors of India Painters- Abanindranath Tagore, Rabindra Nath Tagore, Nandlal Bose, Jamini Roy, E.B. Havell, Asit Kumar Haldar, Amrita Shergil, K.K. Hebbar, N.S. Bendre, M.F. Hussain, F.N. Suza, S.H Raza, K.H. Ara, K.G. Subramanyam, SatishGujral, J. Swaminathan, TyebMehta.Sculptors - Pradosh Das Gupta, Debi Prasad Roy Chaudhury, RamkinkarBaij, Dhanraj Bhagat, ShankhoChoudhari, Himmat Shah, Nagji Patel, Usha Rani Hooja, Annish Kapoor.

## **Unit –VIII**

Indian Temples Architecture and Sculptures- Ellora, Elephanta, Mahabalipuram, Konark Temple, Khajuraho Temples and Meenakshi Temple.

Temple Sculptures of Rajasthan- Kiradu Temples-Barmer, Harsh Temple-Sikar, Ambika Temple-Jagat (Udaipur), Arthuna-Banswara, Delwara-Sirohi, Ranakpur-Pali, Abhaneri- Dausa.

## **Unit – IX**

History of Western Modern Art- Neo-Classicism, Romanticism, Realism.

Impressionism, Neo-Impressionism, Post-Impressionism.

Fauvism, Cubism, Expressionism.

Futurism, Constructivism, Metaphysical Painting.

Dadaism, Surrealism, Abstract Art.

Op- Art, Pop- Art, Action Painting Minimal art and Post- Modern Trends, etc.

## **Unit – X**

Western Concept of Beauty - Relevance of study of Aesthetics in Drawing and Painting. Theory of Imitation and Representation, Catharsis (Plato, Aristotle), Aesthetical view of Augustine, Baumgarten, Hegel, Schelling, Emanuel Kant, Sigmund Freud, Leo Tolstoy, Benedetto Croce, George Santayana, Susanne Langer, I.A. Richards, Roger Fry and Clive Bell.

### **03. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN ECONOMICS**

#### **UNIT-1 Microeconomics**

Consumer Behaviour- Cardinal utility analysis, Nature of utility functions, Demand theory: Market Demand Curve, Elasticity of demand, ordinary and compensated demand curves, Network externalities- Bandwagon, Snob and Veblen effect. Indifference curve analysis, Goods, bads and neutrals. Normal, inferior and Giffen goods, Consumer's Price effect, income and substitution effects, Slutsky theorem. Analysis of consumer behavior under risk and uncertainty, Asymmetric information. Behavioral Economics.

Law of Variable Proportions, Isoquant, Ridge lines. Optimum factor combination, Expansion path, Short run and long run production functions, Cost functions and Curves. Cost concepts and cost curves. Short run and long run cost curves. Modern theory of cost. Elasticity of substitution. Euler's theorem. Production function- Cobb Douglas and CES, Technical progress, Economies of scale and Learning curve analysis.

Determination of price and output under different market structures. Factor pricing analysis. Peak load pricing. Game theory: Cooperative and non-operative games, Sequential games, Dominant strategy and Nash Equilibrium. Welfare economics - Pareto optimality, Market failure and externalities, New welfare economics, Social Welfare Function, First and Second Theorem of Welfare economics, Theory of second best. Arrow's Impossibility Theorem.

#### **UNIT-2 Macroeconomics**

National income - concepts and measurement, flaws in conventional system of National Income Accounts, Latest changes in national income accounts in India. Green Accounting, Consumption hypotheses - absolute, relative, life-cycle and permanent income hypotheses. Classical, Keynesian and Post- Keynesian theories of determination of income and output. Phillips curve Controversy, Post Keynesian Theories of demand for Money: Baumol, Tobin, Friedman, Patinkin and Real balance effect. Investment function: Neoclassical theory, Accelerator theory, Tobin's Q theory.

Money supply and high powered money. Money Multiplier The IS-LM model, the relative effectiveness of monetary and fiscal policies. Ricardian Equivalence. Natural Rate of Unemployment- Adaptive Expectation. Trade Cycle Theories: Multiplier- Accelerator Interaction model, Kaldor model. Mundell -Fleming model. Monetarism: Monetarist-Fiscalist debate on Policy Activism. New classical approach to macro economics. Real Business Cycles, New Keynesian Macroeconomics- Sticky Price (Menu Cost) Model, Efficiency Wage Hypothesis.

#### **UNIT-3 Economic Growth and Development**

Economic development and growth. Climate change. Measurement and indicators of development: PQLI, HDI, HPI and GDI. Entitlement and capability approach. Growth-Distribution Trade-offs. Measurement of inequality- Lorenz curve and Gini Coefficient.

Development and Growth models: Lewis, Fei-Ranis, Harrod-Domar, Solow, Kaldor. Endogeneous Growth, Uzawa-Lucas Model. Golden Rule of Capital Accumulation. Technological progress- Embodied and disembodied, Technical progress- Hicks and Harrod, Learning by doing. Cambridge criticism of Neo-classical Analysis of Growth. Economic function of market and state: Market failure and government failure. Project evaluation and Cost-benefit analysis. Theory of Environment Regulation: Political Economy Model of Regulation, Pigovian taxes; Subsidies for Abatement of pollution, Property Rights and the Coasian Approach: bargain Solution. Quantitative regulation: Command and Control- Standard setting; Tradable pollution permits. Methods of environment valuation: Hedonic pricing, Contingent valuation and Travel cost method.

Sustainable Development goals and their governance. Role of Multilateral Development Bodies, Causes and impact of Global financial crisis of 2008 and Euro Zone crisis.

#### **UNIT - 4 Indian Economy-**

Economic Growth in India: Pattern and structure. Problems of Indian economy - poverty, unemployment, Inflation, regional disparities. Characteristics of Indian Population and Population Policy. Food security in India. Inclusive growth. Agriculture development and policies. Agriculture Credit in India: Kisan Credit Card, Micro Finance Programme- SHG and Bank Linkage Programme. National Agricultural Insurance Scheme. Industrial development and policies. Service Sector Growth. Economic Reforms in India, Financial sector reforms. RBI and monetary policy. Demonetization, Impact of covid-19 on Indian Economy. Global Economic recession and its impact on Indian economy. Foreign trade: Trends, Composition and Direction, India's Balance of Payment position in recent years, WTO: issues and its impacts on Indian economy. Evolution of Niti Aayog. Major flagship programmes of Indian Government.

Migration- policy issues, Globalization and trade policy. Rural development programmes, Bilateral Trade agreement and their implications on India.

#### **UNIT - 5 Quantitative Techniques**

Diagrammatical, Graphical & tabular representation of data, Measures of Central tendency, Dispersion, Skewness and Kurtosis, Simple Correlation, Partial and Multiple co-relation, Time Series. Components of Time Series, Regression Analysis, Probability- definition, theorems of addition and multiplication, conditional probability, Bayes Theorem. Binomial, Poisson and Normal distributions. Sampling techniques. Estimation: properties of good estimator, Point and Interval estimation, Types of errors, Level of significance and power of test. Hypothesis testing- Z, t, chi-square and F tests. Association of attributes, Analysis of Variance. Matrices, Determinants, Differentiation, Simple and partial differentiation Integration- their applications in Economics. Indefinite and definite integration, Unconstrained and constrained optimization. Linear Programming, Game Theory, Input-Output analysis.

## **UNIT - 6 Public Economics and International Economics**

Social, merit, mixed, club goods. Public expenditure- Wiseman-Peacock hypothesis, Leviathan Hypothesis, Niskanen Model, Public- Choice Theory, Public revenue - principle, effects. Taxation: incidence, impact and effects of taxation. Problem of double taxation. Elasticity and buoyancy of taxes. Problem of Tax Evasion and Parallel Economy in India. Tax reforms, GST and its implication for India. Issues of subsidies in India. Public debt -sources, burden, effects and its management. Centre-State financial relations, Fiscal policy: Neutral, Compensatory, and Functional Finance. Public Enterprises and Public Utilities. Concept of budget deficits.

Theories of international trade- comparative cost, opportunity costs. Heckscher-Ohlin theory, Factor Price Equalization Theorem. Terms of trade. Balance of payments.

---

## **04. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN ENGLISH**

### **Part 'A'-**

- (i) Critical Appreciation of a given poem or piece of prose.
- (ii) English Language Usage and Grammar.

### **Spotting Errors**

- Determiners & Articles
- Modal Auxiliaries
- Prepositions & Phrasal verbs
- Tenses and Sequence of Tenses
- Idiomatic Expressions

### **Basic sentence Patterns and Transformations**

- Basic sentence patterns
- Complex Compound sentences
- Active/Passive
- Direct/Indirect
- Negative/Interrogative

### **Part 'B'- Literary Criticism**

- a) Classical (Western and Indian)
- b) Renaissance
- c) Elizabethan and Jacobean
- d) Neo Classical
- e) Pre Romantic and Romantic
- f) Victorian and Pre Raphaelite
- g) Early Moderns till T.S. Eliot

### **Part 'C'- Critical Theory**

- a) New Criticism
- b) Structuralism and Post Structuralism
- c) Modernism and Post Modernism
- d) Post Colonialism
- e) Feminist Criticism
- f) Psychoanalytical Criticism
- g) New Historicism

**Part ‘D’- British Literature through the Ages-**

- (i) Renaissance
- (ii) Elizabethan
- (iii) Jacobean
- (iv) Neo Classical
- (v) Romantic
- (vi) Victorian
- (vii) Modern

**Part ‘E’- American and Non-British English Literature-**

- (i) American Literature from Sixteenth Century to the Present Day
- (ii) Afro-American Literature
- (iii) African Literature
- (iv) New Literature (Caribbean, Canadian & Australian)

**Part ‘F’- Indian Writing in English-**

- (i) Colonial
  - (ii) Post-Colonial
  - (iii) Dalit
  - (iv) Diaspora
-

## 05. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN GEOGRAPHY

### Unit – 1.

**History of Geographic Thought:** Development of geographical knowledge during ancient and medieval period; Contributions of Greek, Roman and Arab geographers. Foundations of modern geography; Contributions of German, French, British and American schools. Development of geographical knowledge in India. Conceptual and methodological developments during the 20th century with changing paradigms; determinism and possibilism, quantitative revolution and impact of positivism, behaviouralism, humanism, radicalism and welfare approach in geography. Concepts of chorological science, areal differentiation, system analysis and spatial organization.

### Unit – 2.

**Research Methodology:** Meaning, types and significance of Research, Research approaches; deductive and inductive, Concept of qualitative and quantitative research, Identification of research problem, Research design, Types of data, Data collection; questionnaire and schedule, Research methodology and research methods, Bi-variate and multivariate analysis, Sampling fundamentals and sampling design, Data analysis, Interpretation and report-writing, Plagiarism, Research ethics, Citing of references.

### Unit – 3.

**Geomorphology:** Fundamental Concepts of Geomorphology, Geological time scale, Processes of development of land forms; Endogenetic and exogenetic forces, Orogenesis and important phases of mountain building, Mountain building theories, Continental drift and plate tectonics, Denudation processes; weathering and erosion, Concept of geomorphic cycles; Davis and Penk, Landforms associated with fluvial, glacial, arid, coastal and karst cycles, Slope forms and concepts of slope evolution, Environmental and Applied geomorphology and Geomorphic hazards.

### Unit – 4.

**Climatology:** Composition and structure of atmosphere, Insolation, Heat budget, Distribution of temperature, atmospheric pressure and general circulation of winds; Monsoons and jet streams, Stability and instability of atmosphere, Air-masses and fronts, Temperate and tropical cyclones, Types and distribution of precipitation, Classification of world climates; Koppen's and Thornthwatt's schemes and Hydrological cycle.

### Unit – 5.

**Oceanography:** Relief of Oceans; hypsometric curve, Bottom relief of Indian, Atlantic and Pacific oceans, Ocean deposits, Coral reefs, Temperature, density and salinity of oceans, Ocean circulations; tides and ocean currents, Sea-level changes, Marine resources and their utilization.

## **Unit – 6.**

**Environment Geography:** Components of environment and ecology, Physical factors influencing world distribution of plants and animals, Types, forms and functions of ecosystem; forest, grassland, marine, desert and mountain ecosystems, Bio-diversity; depletion and conservation, Environmental pollution; types, causes, effects and solutions, Climate change; global warming and ozone depletion, Environmental hazards and disasters; types, effects and management and Environmental Impact Assessment (EIA).

## **Unit – 7.**

**Cartography:** Types of maps and their interpretation, single purpose and composite maps; choropleth, isopleth and chorochromatic maps, Statistical diagrams; one, two and three dimensional diagrams, Climatic graphs; climograph, hyther graph and climatograph, Map projections; classification and their specific uses and Toposheets; Traditional and Open Series Maps (OSM).

## **Unit – 08**

**Geospatial Techniques:** Remote sensing and computer application in mapping; digital mapping, electro-magnetic radiations, Remote sensing systems; platforms, sensors, resolution and radiometric characteristics, Digital Elevation Model, Application of remote sensing in the study of land use, land cover and resource planning, Introduction to Geographic Information System (GIS), Fundamentals of GIS; geo-spatial databases, data capture, Raster and vector data, Implications of integration of remote sensing and GIS and Global Positioning System (GPS).

## **Unit – 09**

**Statistical Method:** Data tabulation, Study of frequency distribution, Measures of central tendency, Selection of class intervals for mapping, Measures of dispersion and concentration; standard deviation, Lorenz curve and Gini's coefficient; Methods of measuring association, simple and multiple correlation and regression. Measurement of spatial patterns of distribution; nearest-neighbour analysis, Scaling techniques; rank score and weighted score; Sampling techniques for geographical analysis and Models in geography; Simulation model, Gravity model.

## **Unit – 10**

**Economic Geography:** Spatial organisation and classification of economies, Factors affecting spatial organization of economic activities; primary, secondary, tertiary and quaternary, Classification of resources, Forest, power and mineral resources, Conservation of resources, World energy crisis, Globalisation and its impact on world economy and Major regional trade blocks and their economic integration.

## **Unit – 11**

**Agricultural Geography:** Nature, scope and development of agriculture geography, Agriculture typology; agricultural systems of the world, Selected agricultural concepts and their measurements; agricultural productivity and efficiency, cropping pattern, crop concentration, crop diversification, cropping intensity and degree of commercialization, Concept and techniques of delimitation of agricultural regions, Von Thunen's model of land use planning and Green Revolution.

## **Unit – 12.**

**Industrial and Transport Geography:** Nature, scope and development in industrial geography, Factors of localization of manufacturing industries, Classification of industries; Resource based and footloose industries, Theories of industrial location: A. Weber, August Losch, D. M. Smith, TordPalander and E. M. Hoover, Industrial regions of the world and Major industrial hazards. Models of transport development, Structural analysis of transport network, Measure of accessibility and connectivity, Transport cost and spatial patterns of flow.

## **Unit- 13.**

**Regional Planning:** Typology of Regions, Regional concept in geography and its application to planning, Concept of planning region, Conceptual and theoretical framework of regional planning, Regional hierarchy, Methods of regional delineation, Theories of Regional Development, Concept of development, Indicators of development and Regional imbalances.

## **Unit – 14.**

**Population Geography:** Nature, scope and development of population geography, Population components and characteristics, Patterns of world population distribution, growth and density, Policy issues, Migration; types, causes and consequences, Patterns and processes of migration, Population theories; Malthus, Marx, Sadler and Ricardo, Demographic transition model, Population-resource regions, Gender discrimination and empowerment of women.

## **Unit – 15.**

**Settlement Geography:** Site, situation, types, size, spacing and internal morphology of rural and urban settlements, Ecological processes of urban growth, Spatial pattern and distribution of urban centres, Rural-urban fringe, City-region, Settlement systems, Primate city, Rank-size rule, Settlement hierarchy; Christaller's central place theory; August Losch's theory of market centres and Concepts of smart city.

## **Unit – 16.**

**Socio-Cultural Geography:** Nature and scope of social geography, Social structure and social processes, Elements of social geography: ethnicity, tribe, dialect, language, caste and religion and Concept of social well-being. Nature and scope of cultural geography, Concept of culture-areas and cultural regions, Cultural regions of the world, Theories of tribal groups, Environment impact

on dwelling places as cultural expressions and Problems arising due to cultural diffusion, racism and terrorism.

#### **Unit – 17.**

**Political Geography:** Definition and scope of political geography, Geopolitics, Global strategic views, Concept of nation, state and nation-state, Boundaries and frontiers, Capital cities and core areas, Politics of world resources, Geography of federalism, Geo-political significance of Indian Ocean and Development of Electoral geography.

#### **Unit – 18.**

**Geography of India:** Physiographic divisions, Climate, Vegetation, Drainage, Major soil types, Water resources, Irrigation, Agriculture; major food and commercial crops, Green revolution and food security, Agro-climatic regions, Mineral and power resources, Major industries and industrial regions, Population distribution and growth, Population problems and policies, Tribes, Tribal areas and their problems, Regional disparities in social and economic development, Regional planning in India and planning regions, Development of road, rail and inland water ways and Natural disasters in India; earthquakes, floods, droughts, cyclones and tsunami.

#### **Unit – 19.**

**Geography of Rajasthan:** Physiographic divisions, Climate, Rivers and lakes, Soils and vegetation, Minerals and power resources, Agriculture and irrigation, Agro-climatic regions, Livestock, Major industries and industrial regions, Sites of geo-tourism, Population; distribution, density, growth, sex-ratio, literacy, SC and ST population, Environmental problems; desertification, deforestation and soil erosion, Bio-diversity and its conservation and Development programmes.



## 06. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN HINDI

### इकाई-1 – हिन्दी भाषा तथा व्याकरण

- हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिन्दी भाषा की प्रमुख बोलियाँ— राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप— डिंगल राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियाँ, मारवाड़ी, मेवाती, ढूँढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, वागड़ी।
- राजभाषा के रूप में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिन्दी। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ तथा मानकीकरण।
- हिन्दी व्याकरण— मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण— उपसर्ग, प्रत्यय, संधि (स्वर, व्यंजन), समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि।
- शब्द के व्याकरणिक प्रकार— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, सम्बंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय।

### इकाई-2 – भारतीय काव्यशास्त्र

- काव्य— परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप।
- भारतीय काव्यशास्त्र— रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत।
- अलंकार— अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रान्तिमान, विभावना, वरणसगर्ह, अपहृति।
- छन्द— दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पय, कुंडलियां, गीतिका, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, द्रुतविलम्बित, कवित्त।

### इकाई-3— पाश्चात्य काव्यशास्त्र

- प्लेटो का काव्य सिद्धान्त।
- अरस्तू का काव्य सिद्धान्त— अनुकरण, विरेचन और त्रासदीय लौंजाइनस— उदात्तसिद्धान्त; क्रोचे— अभिव्यंजना सिद्धान्त; कॉलरिज— कल्पना सिद्धान्त; टी.एस. एलियट— परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता सिद्धान्त, मार्क्सवादी साहित्य चिन्तन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखण्डनवाद।

### इकाई-4— आदिकाल एवं मध्यकाल: निर्धारित पाठ

- पृथ्वीराज रासो (पदमावती समय)— चंदबरदाई, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
- कबीर ग्रन्थावली— (सं. श्यामसुन्दर दास) — आरंभिक 20 पद, साखियाँ — गुरु कौ अंग एवं विरह कौ अंग (प्रकाशक— नागरी प्रचारिणी सभा— वाराणसी)
- मीरां पदावली— सं० डॉ० शम्भुसिंह मनोहर (प्रका० रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर)
- भ्रमरगीत सार—(सं. रामचन्द्र शुक्ल) — 21 से 50 पद (प्रकाशक— नागरी प्रचारिणी सभा— वाराणसी)

- जायसी ग्रन्थावली— नागमती वियोग खंड (सं. रामचन्द्रशुक्ल) (प्रकाशक— नागरी प्रचारिणी सभा— वाराणसी)
- कवितावली— तुलसीदास—पद संख्या 65 से 110 (नाम— विश्वास, कलि—वर्णन, राम—नाम—महिमा) (प्रकाशक—गीता प्रेस, गोरखपुर)
- बिहारी रत्नाकर— (सं. जगन्नाथ दास रत्नाकर) — आरंभिक 25 दोहे (प्रका० गंगा पुस्तकालय कार्यालय, लखनऊ)
- घनानंद कवित्त — (सं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) — 1 से 25 तक छंद (प्रका० वाणी वितान प्रकाशन, वाराणसी)

### इकाई—5 — आधुनिक काल: निर्धारित पाठ

- कामायनी—जयशंकर प्रसाद (चिंता तथा श्रद्धा सर्ग)
- राम की शक्ति पूजा— सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
- अंधेरे में — गजानन माधव मुक्ति बोध
- गोदान— प्रेमचन्द
- महाभोज (उपन्यास) — मन्नू भण्डारी
- आधे—अधूरे— मोहन राकेश
- निबंध— श्रद्धा और भक्ति (रामचन्द्र शुक्ल), नाखून क्यों बढ़ते हैं (हजारी प्रसाद द्विवेदी), राघव: करुणो रस: (कुबेरनाथ राय)।
- कहानियाँ — उसने कहा था (चंद्रधर शर्मा गुलेरी), कफन (प्रेमचन्द), पुरस्कार (जयशंकर प्रसाद), रोज (अज्ञेय), गदल (रांगेय राघव), परायी प्यास का सफर (आलमशाह खान), सलाम (ओमप्रकाश वाल्मीकि), आपकी छोटी लड़की (ममता कालिया)।
- यात्रा वृत्तान्त : सौंदर्य की नदी नर्मदा— अमृतलाल वेगड़

### इकाई—6 — हिन्दी साहित्येतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल

- हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। काल विभाजन और नामकरण। प्रमुख साहित्येतिहास ग्रंथों का परिचय।
- आदिकाल— सामाजिक—सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ—सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा एवं तत्सम्बन्धी प्रामाणिकता का प्रश्न, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएँ (सरहपाद, गोरखनाथ, चंदबरदाई, नरपति नाल्ह, अमीर खुसरो, विद्यापति)।

### इकाई—7—भक्तिकाल

- भक्तिकाल—ऐतिहासिक और सामाजिक —सांस्कृतिक आधार। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य। भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता। भक्ति कालीन प्रवृत्तियाँ — निर्गुण भक्ति साहित्य (कबीर, रैदास, दादू), सूफी काव्य (जायसी, कुतुबन, और मंझन), कृष्ण भक्ति साहित्य (सूरदास, नन्ददास और मीरा), राम भक्ति साहित्य (तुलसीदास)।

### इकाई-7-रीतिकाल

- रीतिकाल- सामाजिक -सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकालीन काव्यशास्त्र। रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री। वर्गीकरण- रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं (केशवदास, मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद)।

### इकाई-8-आधुनिककाल: काव्य

- आधुनिककाल- ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि- 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिन्दी नवजागरण, भारतेन्दु और उनका मंडल। राष्ट्रीय - सांस्कृतिक काव्यधारा (मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारीसिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडेय, सुभद्रा कुमारी चौहान)। छायावाद-पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं (जयशंकरप्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा)। प्रगतिवादी काव्य - केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध। प्रयोगवाद और नई कविता- अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही और जगदीशगुप्त।
- समकालीन कविता- अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धन्वा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, नन्द चतुर्वेदी और हरीश भादानी।

### इकाई-9-आधुनिककाल: गद्य

- हिन्दी गद्य का विकास और भारतेन्दु। भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता, हिन्दी गद्य- सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका। हिन्दी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार। हिन्दी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। हिन्दी नाटक और रंगमंच का विकास, प्रमुख नाटककार। हिन्दी निबंध और आलोचना का विकास, प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक। हिन्दी की कथेतर विधाओं का विकास- जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र और यात्रावृत्तांत। हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता: परम्परा और वैशिष्ट्य।

## **07. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN HISTORY**

### **UNIT-A: Ancient India:**

1. Reconstructing Ancient India: Literary and Archaeological Sources.
2. Pre and Proto History of India
  - (a) Paleolithic to Neolithic- Chalcolithic Transition – Major Sites, Tools and Culture.
  - (b) Saraswati-Sindhu River - Valley Civilization (Harappan Civilization) – Origin and Extent, Major sites and settlement pattern, trade and craft, religious practices, decline and significance of Later Harappan phase.
3. Vedic Age- Vedic Vangmaya, Transformation from Rig Vedic period to the Later Vedic period; Political, Social and Economic life; Religion, ritual and philosophy. Significance of the Vedic Age.
4. State formation and the rise of Mahajanpadas: Republics and Monarchies; Rise of urban centres; Economic growth- craft, guild, money and trade; Emergence of Jainism, Buddhism and Ajivak sects; Rise of Magadha. Invasion of Alexander and its impact on India.
5. Mauryan Empire- Foundation of the Mauryan Empire, political achievements of Chandragupta, Bindusara and Ashoka; Ashoka and his Dhamma, Ashokan Edicts; Polity, Administration and Economy; Art and Architecture.
6. Post Mauryan Period: Shung and Kanvya; Contact with outside world-Indo-Greek, Sakas, Kushanas, Western Kshatrapas; growth of urban centres, trade and economy, Development of religious sects: Vaishnav, Shaiva, Mahayana; Art, Architecture, and Literature.
7. Early State and Society in Deccan and South India: Megalithic period, The Satavahanas, Tamil States of the Sangam Age; Administration, Economy, Sangam literature and culture; Art and Architecture.
8. Imperial Guptas- Political history, polity, society, economy, trade and commerce, literature and art.
9. Economy during Post-Gupta period- trade and commerce, banking & currency.
10. Harshvardhan- conquest, polity, religion, art and literature.
11. Rise of regional states- Chalukyas, Pallavas, Cholas, Rashtrakutas, Pratiharas and Palas.
12. India's contact with outside World- West Asia, Central Asia and East-Asia.

13. Pre-Medieval India (700A.D. to 1200A.D.)- Society and Economy, Feudalism and its impact on socio-political life, Development of regional cultural identities and regional political powers. Development of philosophy and religion during the period.
14. Development of diverse art, literature and culture in ancient India - Architecture, sculpture, music, literature of classical languages, Development of education, philosophy, science and technique.

### **UNIT-B: Medieval Indian History**

1. Source of Medieval Indian History: Archaeological and Literary.
2. Foundation and Consolidation of Delhi Sultanate 1206 to 1290 A.D.
3. Territorial expansion of Sultanate during Khalji and Tughlaq period.
4. Rise of Provincial dynasties Vijayanagar, Bahamani and Jaunpur- Polity and Cultural contribution.
5. The Sayyid and the Lodis; the disintegration of Sultanate. Polity of the Sultanate.
6. Society, Culture and Economy during Sultanate period (from 13th century to the close of 15th century)-
  - (a) Composition of rural society, ruling classes, town dwellers, women, religious classes, caste and slavery under the Sultanate, Bhakti movement, Sufi movement.
  - (b) Persian literature, Literature in the regional languages of North India, Sultanate architecture and provincial variants, Development of music and paintings, Evolution of a Composite Culture, Cultural Synthesis in Medieval India.
  - (c) Economy: Agricultural Production, rise of urban economy and non-agricultural production, trade and commerce. Technology and craft during Sultanate period.
7. Mughal Empire, first phase: Babur, Humayun, the Sur Empire: Sher Shah's administration.
8. Portuguese colonial enterprise.
9. Territorial Expansion Akbar, Jahangir, Shahjahan and resistance of Indian powers.
10. Aurangzeb and Decline of Mughal Empire in 18th Century and emerging regional powers.
11. Period of cooperation and conflicts 1556-1707.
12. Policies of the Mughals-Deccan, religious, Rajputs and North-West Frontier policies.
13. Administrative System- Central, Provincial and Revenue administration, Mansabdari and Jagirdari system.
14. Art and Cultures- Architecture, Painting, Music and Literature
15. Economic Life- Agriculture, Industries, Trade and Commerce, Banking and Currency system.
16. Rise of the Marathas- Shivaji- conquests, civil and military administration, nature of Chauth and Sardeshmukhi, concept of Hindu Padpatshahi.
17. Expansion of Maratha power under Peshwas-Maratha Confederacy, civil and military administration under the Peshwas, Third battle of Panipat-1761.
18. Society and Culture in later Medieval India –

- a) Composition of Society, Bhakti movement and Sufi movement.
- b) Literary tradition of Persian, Sanskrit and regional languages. Mughal and Sur Architecture, Regional forms of Architecture. Music and Paintings during Mughal period
- c) Economy: Agricultural production, rise of urban economy and non-agricultural production, trade and commerce, technology and craft, education, science & technique during the period.

## **UNIT-C: Philosophy of History and Historiography**

### **(A) Philosophy of History**

Analytical and Speculative Philosophy of History.

Analytical Philosophy of History:

Nature of historical evidence, inference and fact; Proof and sources of history: Literary- primary, secondary and tertiary and archaeological sources.

Historical Explanation.

General-laws model; historical objectivity; causation.

The idealist tradition: Dilthey-Croce-Collingwood

Postmodern 'End of History' - the postmodern challenge.

Speculative Philosophy of History.

Brief survey of various Speculative philosophers of history- Vico, Herder, Hegel, Marx, Spengler, Toynbee and Fukuyama.

Indian Historians: Barni, Abul Fazal, R.C Majumdar, J.N. Sarkar, D.D. Kosambi and K.M. Ashraf.

### **(B) Historiography**

A brief survey of various traditions of historiography: Indian (Ancient, Medieval and Modern); Chinese (Confucius), Graeco-Roman (Herodotus), Judeo-Christian, Islamic Historian (Ibn Khardum), Ranke and scientific history, Marxist, Colonial, Nationalist, Cambridge, Subaltern and Postmodern.

## **UNIT-D: Modern India**

1. 18th century transition: (a) Decline of Mughal Empire (b) Emergence of regional powers (c) Advent of European powers
2. Establishment and Expansion of British Rule-Bengal, Avadh, Mysore, Maratha and Sikhs.
3. Capitalism, Imperialism and Transition to colonial economy:
  - (a) Land revenue settlements in British India; Economic impact of the revenue arrangements; Commercialization of agriculture; decline of cottage industry; Rise of landless agrarian labourers; Impoverishment of the rural society.
  - (b) Dislocation of traditional trade and commerce; De-industrialisation; Drain of wealth; British capital investment, European business enterprise and its impact.

4. Early Structure of the British Raj: The Early administrative structure; From diarchy to direct control; The Regulating Act (1773); The Pitt's India Act (1784); The Charter Act (1833); The Voice of free trade and the changing character of British colonial rule; The English utilitarian and India.
5. Indian Response to British Rule I: Socio-culture changes:
  - (a) The introduction of western education in India; The rise of press, literature and public opinion; The evolution of modern Indian languages and literature; Progress of Science; Christian missionary activities in India.
  - (b) Social and Religious Reform Movements: The Brahma Movement; Devendra Nath Tagore; Iswarchandra Vidyasagar; The Young Bengal Movement; DayanadaSaraswati; Social reform movements of Maharashtra and other parts of India; The contribution of Indian renaissance to the growth of modern India; Sir Saiyad Ahmed Khan and Aligarh Movement. Islamic revivalism- the Feraizi and Wahabi Movements.
  - (c) Movements for the upliftment of Dalits and women.
6. Indian Response to British Rule II: Revolts and uprisings
  - (a) Peasant movement and tribal uprisings in the 18th and 19th centuries including the Rangpur Dhing (1783), the Kol Rebellion (1832), the Mopla Rebellion in Malabar (1841-1920), the Santal Hul (1855), Indigo Rebellion (1859-60), Deccan Uprising (1875) and the Munda Ulgulan (1899-1900); The Great Revolt of 1857 —Origin, character, causes of failure, the consequences; The shift in the character of peasant uprisings in the post-1857 period; the peasant movements of the 1920s and 1930s.
7. Emergence of Indian Nationalism:
  - (a) Factors leading to the birth of Indian Nationalism; Politics of Association; The Foundation of the Indian National Congress; objectives of Early Congress; the Moderates and Extremists; The Partition of Bengal (1905); The Swadeshi Movement in Bengal; the economic and political aspects of Swadeshi Movement; The beginning of revolutionary extremism in India.
  - (b) Age of Gandhian Politics : Character of Gandhian nationalism; Gandhi's popular appeal; Rowlatt Satyagraha; the Khilafat Movement; the Non-cooperation Movement; National politics from the end of the Non-cooperation movement to the beginning of the Civil Disobedience Movement; the two phases of the Civil Disobedience Movement; Simon Commission; The Nehru Report; the Round Table Conferences; the election of 1937 and the formation of ministries; Cripps Mission; the Quit India Movement; the Wavell Plan; The Cabinet Mission.
  - (C) Other strands in the National Movement: Nationalism and the Peasant Movements; Nationalism and Working-class movements; The Revolutionaries: Bengal, the Punjab,

Maharashtra, U.P. the Madras Presidency and outside India; Indian National Army (Azad Hind Fauz). The Left; The Left within the Congress: Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, the Congress Socialist Party; the Communist Party of India, other left parties.

8. Constitutional Developments in the Colonial India between 1858 and 1935.
9. Growth of Muslim League and communalism in Indian Politics; Circumstances leading to partition of India.
10. Post-Independence Nation-building- the Linguistic reorganization of the states, Five-year planning, Institutional building during Nehruvian Era, development of science and technology.

#### **UNIT-E: History of Modern World**

1. Renaissance- Causes and Impact; Reformation- Causes, growth and significance; Counter Reformation and its impact; geographical discoveries of 15th-16th centuries.
2. Enlightenment and Modern outlook: Major Ideas of Enlightenment and development of scientific attitude, Industrial Revolution- Causes and Impact on Society.
3. Idea of Nation–States– Formation of French and British Nation state, American Revolution- Causes and effects.
4. French Revolution and Napoleonic Era- Causes, important events and impact, contribution of Napoleon Bonaparte.
5. Rise of Nationalism in 19th century and disintegration of empires. Nation building in Germany and Italy.
6. Growth of imperialism and colonialism in the 19th century-Asia and Africa. World War I: Causes and Consequences, The First World War and Paris Peace Conference.
7. Russian Revolution of 1917- Causes and significance.
8. The great depression and its impact, Rise of Fascism and Nazism.
9. Second World Wars- Causes, important events and impact.
10. World organization- League of Nations and U.N.O.
11. Liberation from Colonial Rule: Latin America, Arab World, South Asia and South- East Asia, Chinese Revolution of 1949.
12. Cold War- Emergence of two blocks.
13. Emergence of Third World and Non-alignment.
14. Dismantling Soviet Union and the End of Cold War.

## **UNIT-F: Political and Cultural History of Rajasthan**

1. Sources- Archaeological and Literary sources.
  2. Pre and Proto History of Rajasthan- Paleolithic to Chalcolithic Transition – Major Sites- Kalibanga, Ahar, Bagore, Ganeshwar, Balathal, tools and culture.
  3. Rajasthan in Early Historical Period – major sites, Republics in Post Mauryan period.
  4. Gupta and Post Gupta period: Origin of the Rajput – Guhils, Gurjar-Pratihara, Parmar, Rathore, Bhati, Tomar and Chauhan
  5. Society, culture and polity in ancient Rajasthan.
  6. Medieval Rajasthan- Political powers of Sultanate Age- Chauhan, Guhils, Rathore and Parmar
  7. Rajput resistance- Prithviraj-III, Hamir of Ranthambhor, Rawal Ratan Singh and Kanhaddeo.
  8. Mughals and Rajput States-Rajput Resistance - Sanga, Maldeo, Chadrasen and Pratap.
  9. Rajput Cooperation with the Central Power- Man Singh, Rai Singh, Mirza Raja Jai Singh, Jaswant Singh.
  10. Feudal System in Rajasthan.
  11. Political and Cultural achievements of rulers in medieval Rajasthan.
  12. Rajasthan in 18th century- Instability and origin of new political powers- Jat, Maratha and British.
  13. Company Paramountcy and structural changes in the polity of Rajasthan.
  14. Role of Rajasthan in the revolt of 1857.
  15. Awakening in Rajasthan- Social changes and political awakening.
  16. Tribal and Peasants movements in Rajasthan.
  17. Freedom Struggle in Rajasthan.
  18. Economic life of Rajasthan (1818 to 1948 A.D.)- Agriculture, Industry, Trade and Commerce. Economic impact of British Rule- (Land Revenue, Agriculture, Industry, Mines, Salt, Opium, Trade and Commerce, Migration of Marwari Traders, Transport and Communication).
  19. Integration of Rajasthan- its various stages.
  20. Development of art- Architecture, Sculpture, Paintings, Music, Dance and Drama from pre - history to modern times.
  21. Development of literature throughout the historical period in Rajasthan.
-

## **08. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN HOME SCIENCE**

### **Unit-01 Food and Nutrition-**

1. Definition - Food, Nutrition, Nutrients, Functions of foods & Principal component of food, Food groups.
2. Properties of food, Balanced diet, Food pyramid, cooking methods, Effect of heat on nutrients, Food preservation techniques.
3. Colloidal system & Emulsions in foods.
4. Food pigments & additives, Qualitative evaluation of foods.
5. Classification, Composition & Effect of heat on cereals, pulses, vegetables & fruits, fats & oils sugar, milk, meat & egg.
6. Food Standards, HACCP & Food packaging, Microbiology for safety of food.
7. Menu- Types, points to consider, Budget & Cost analysis, Dietary guidelines for proper nutrition.
8. Food service management of Institutional level- hospital, educational institute, social & special institute, Role of dietician.
9. Macro & micro nutrients - functions, requirement, deficiencies and effect of heat.

### **Unit-02 Textiles -**

1. Textiles Fibres and Yarns:
  - I. Textile terminologies- fibre, yarn, weave, fabric etc.
  - II. Classification of fibers, Identification of fibres and weaves.
  - III. Manufacturing process of major natural and manmade fibres, properties and their end use.
  - IV. Blended fibres and yarns.
2. Different methods of yarns and fabric constructions:
  - I. Classification of yarns, yarn count, ply and twist.
  - II. Spinning – mechanical and chemical.
  - III. Types of yarns.
  - IV. Basic loom, part and operation, type of looms.
  - V. Different methods of fabric construction: weaving- type of weaves, knitted, braiding, non-woven fabrics, bonding and knotting.
3. Fabric Finishes: Textiles finishes- meaning, objectives, classification, processing and purposes of finishes. Dyeing and printing-classification, method of block printing, tie and dye, batik, roller printing, screen printing, discharge, heat transfer printing and digitized printing. Chemistry of

Dyes and Pigments- composition, properties. Affinity towards fibres method of application fixing, after treatment and fastness properties.

4. Traditional Textiles of India: embroidered textiles, printed textiles, woven textiles, dyed textiles of various regions in India. Identification on the basis of fibre content, technique, motif, colour and designed.
5. Textile Testing and Quality Control:
  - I. Textile Testing- need of testing, sampling method, techniques of testing fibres, yarn, fabrics and garments.
  - II. Quality Analysis- weaves, ends, picks, count, weight, thickness, porosity, air permeability, thermal conductivity and dimensional stability.
  - III. Fabric Properties and Analysis- abrasion and colour fastness, crease, recovery, stiffness, drapability, shrinkage, pilling and GSM of fabrics. Labeling- types of labels and purpose.
  - IV. Textile and Environment- banned dyes, eco-friendly textiles, contamination and effluent treatment, Eco-label and eco marks. Recent developments in textiles and apparels- nano textiles, technical textiles, occupational clothing, zero waste designing, up cycling and recycling.

### **Unit-03 Resource Management and Consumer Issues -**

1. Management- concept, approaches, management of time, energy, money, space, motivating factors, motivation theories, systems approach of management.
2. Functions of management- planning, supervision, controlling, organizing, evaluation, family life cycle-stages, availability and use of resources.
3. Resources- classification, characteristics, factors affecting use, resource conservation, trends in Resource management.
4. Time management and Energy Management: work simplification techniques, classes of change, fatigue and its management.
5. Decision Making: importance, definition, decision making process, types of decision making.
6. Money management- family income, types, supplementation, budgeting, household accounts, family savings and investment, tax implications.
7. Consumer- definition, role, rights and responsibilities, consumer behavior, consumer problems, education and empowerment.
8. Consumer protection- consumer organization, cooperatives, alternative redressal, standardization, standard marks, quality control, buying aids, consumer legislation.

9. Entrepreneurship- concept, process, barriers, entrepreneurial motivation, challenges, enterprise setting, project planning and appraisal, enterprise management.

#### **Unit 04 Human Development**

1. Meaning, definition & importance of Human Development
2. Principles of Development, growth and development, maturation and learning, heredity and environment.
3. Factors affecting Development
4. Prenatal Development- the period of the Zygote, Embryo and Fetus, the “APGAR” scale, Postnatal developments- infancy and babyhood- Newborn Reflexes, changes in body size & proportions- Stages of Childhood- Characteristics and Developmental tasks of Childhood, Handedness.
5. ECCE- Need, Importance and Objectives of ECCE. ECCE centre - Kindergarten, Montessori, open type, play school, nursery and Balwadi etc.
6. Adolescence - Definition, stages, characteristics, physical changes, emotional life, socialization, problems and morality.
7. Adulthood, characteristics, changing role and responsibilities in early and middle adulthood.
8. Aging- physical and psychological changes, care and needs.
9. Theories of Human Development and behaviour - Jean Piaget, Kohlberg, Erickson, Freud, Skinner, Watson, Pavlov's theory.

#### **Unit 05 Extension Management and Community Development**

1. Historical perspectives of extension—genesis of extension education and extension systems in India and other countries, objectives of extension education and extension service, philosophy and principles of extension programme development.
2. Programme management- need assessment, situation analysis, planning, organization, implementation, monitoring and evaluation.
3. Extension methods and materials- interpersonal, small and large group methods, audio-visual aids- need, importance, planning, classification, preparation and field testing, use and evaluation of audio-visual materials.
4. Curriculum development and planning for extension education and development activities, Bloom’s taxonomy of educational objectives and learning.
5. Non-Formal, adult and lifelong education-historical perspectives, concept, theories, approaches, scope, methods and materials used, challenges of implementation and evaluation, issues to be addressed.

6. Training, skill development and capacity building for human resource development- methods of training, entrepreneurship development.
7. Community development- concept, approaches, principles, historical perspective of community development in India. Leadership, Support structures for community development- Panchyati Raj Institutions, NGOs and Community based organisations.
8. People's participation: - concept, meaning, importance and types of peoples' participation, Historical Perspectives of Community development in India. Participatory Learning and Action (PLA) - methods, techniques and stakeholders' perspectives.
9. Development programmes in India for urban, rural and tribal population groups- programmes for nutrition, health, education, wage and self-employment, women's development, skill development, sanitation and infrastructure.

#### **Unit 06 Food & Nutrition-**

1. Nutrition through lifespan-physiological changes, growth & development from conception till old age.
2. Therapeutic nutrition and diet counselling for weight management, diabetes, fever, disorders of gastro intestinal tract, gall bladder, surgery and burns.
3. Public health nutrition.
4. Physiology of circulatory system, respiratory system, reproductive system and excretory system.
5. Enzymes and metabolism of carbohydrate, protein and fats.
6. Microbial food spoilage and food borne diseases.
7. Community nutrition, sports nutrition, nutrition in emergencies and disasters.
8. Nutritional assessment methods and techniques.
9. Nutrition intervention, national nutrition policies and programs, food and nutrition security.

#### **Unit-07 Apparel Designing**

1. Clothing construction Process-
  - I. Equipments and tools used for manufacturing garments- advancements and attachments used for sewing machine. Types of machines used and their parts.
  - II. Fabric Selection, preparation, layout, calculation of material for different garments.
  - III. Body measurements- procedure, need, figure types and anthropometry.
2. Apparel manufacturing
  - I. terminology used
  - II. seams and seam finishes, disposal of fulness, plackets, fasteners, yokes, necklines, collars, sleeves, trimming and pockets.

- III. Elements and principles of design and its application to apparel. Illustrations and parts of garments.
  - IV. Pattern making- drafting, draping and flat pattern making techniques, pattern alteration and dart manipulation techniques.
3. Fashion-Terminologies, fashion cycle, fashion theories, fashion adoption, fashion forecasting and factors affecting fashion.
  4. Physiological, psychological and sociological aspects of clothing-
    - I. Origin and theories of clothing
    - II. Role of clothing in personality development and self-concept.
    - III. Factors affecting clothing selection
    - IV. Social impact of clothing in relation to occupation, occasion, nationality and income.
    - V. Selection of clothing for different age groups. Selection of fabrics for different uses.
  5. Apparel Quality testing- Quality standards and specification, Quality parameters and defects of fabrics and garments. Common fitting problems and their remedies. Care and maintenance of clothing- principles of washing, laundry agents, storage techniques case labels and symbols.

#### **Unit-08 Housing and Interior Design**

1. Design fundamentals – design, importance and functions, elements of art, principles of design.
2. Colour - dimensions of colour, psychological effects of colour, colour schemes, factors affecting use of colour, colour theories, advancing and receding colours. Use of colour in interiors of residential and non residential buildings.
3. Lighting- Types of lights and lighting, illusion, unit of measurement, lighting for different spaces, lighting fixtures.
4. Space planning and design- housing need and importance, principles of planning spaces, types of house plans, economy in construction, planning for different income groups.
5. Building regulations-norms and standards, zoning, housing for special groups and areas, housing finance.
6. Furniture and furnishing - architectural styles, contemporary trends, wall finishes, wall and window treatments, floor & floor coverings.
7. Housing and environment- building materials, impact on environment, green rating systems, energy efficiency in buildings, energy auditing, indices of indoor comfort, carbon foot prints.
8. Energy as a resource- conventional and non- conventional sources, renewable /non-renewable energy, advance energy management, National efforts on energy conservation.
9. Product design - design thinking process, diffusion and innovation, design communication, ergonomic considerations.

10. Ergonomics - significance, scope, anthropometry, man, machine, environment relationship, factors affecting physiological cost of work, body mechanics, functional design of work place. Occupation health and safety. Ergonomics and kitchen management.

#### **Unit 09 Family Studies and Exceptional Children -**

1. Dynamics of marriage and family relationships --Meaning, definition, functions and types of marriage, Readiness of marriage, Mate selection, Alternatives to marriage, single hood, consensual unions and their socio emotional implications, Marital Harmony -Pre and post marital counseling and its importance.
2. Family- meaning, definition and types of family. Concept of family life cycle, changing needs of family at different stages of family life cycle beginning expanding & contracting.
3. Domestic violence, marital disharmony, conflict, resolution of conflict.
4. Parent education, positive parenting, community education.
5. Human rights, rights of children, rights of women, status of women, gender roles.
6. Guidance and counseling- across life span and for care givers.
7. Children with special needs -definition, classification, characteristics, identification, education and special considerations.
8. Organizations working for children with special needs.
9. Laws related to women and children.

#### **Unit 10 Communication for Development -**

1. Basics of communication- nature, characteristics, functions, process, models, elements, principles, barriers, perception, persuasion and empathy, types of communication, levels (settings) of communication transactions, process of listening.
2. Communication Theories- human interaction theories, mass communication theories, message design theories.
3. Concept of development- theories, models, measurement and indicators of development.
4. Diffusion and adoption of innovation, adoption process, adopter categories.
5. Role of communication in development- concept, need and importance, development journalism, use of print, radio, television and internet in development.
6. Concerns of development communication- gender, health, environment, sustainability, human rights, population, literacy, rural and tribal development.
7. Behavior change communication- concept, importance, principles, models and process of behaviour change.

8. Traditional, modern and new media for development - folk forms of songs, art, dance, theatre, puppetry, advertisement, cinema, ICTs for development-community radio, participatory video, social media and mobile phones.
9. Organisation/agencies/institutes working for development communication-international/national/state and local.

### **Unit 11 Research Methodology**

1. Meaning of research, its significant and objective, Criteria of good research in Home science.
  2. Role of statistics in research, type and methods of research.
  3. Review of literature, Planning for research
  4. Sampling method and tools of data collection.
  5. Processing of data, Reliability and validity of data, Tabulation and presentation using graphs charts/diagrams.
  6. Types of reports.
  7. Principles of writing, Technical writing.
  8. Bibliography, executive summary and footnotes writing, Reference citation.
  9. Report presentation.
-

## **09. SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF TEACHING ASSOCIATE IN POLITICAL SCIENCE**

### **1. Indian Political Thought**

- Manu & Kautilya. Traditions of Non-Violence in Buddhism & Jainism.
- Nature of State in Medieval India: Ziauddin Barani, Abul Fazal.
- Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Sir Syed Ahmed Khan, E.V. Ramaswamy Naicker.
- Dadabhai Naoroji, Aurobindo Ghosh, M. K. Gandhi, Jawaharlal Nehru.
- Jai Prakash Narain, Ram Manohar Lohiya, B.R. Ambedkar, Kamala Devi Chattopadhyay.

### **2. Political Concepts and Ideologies**

- Perspective of the State: Ideal, Liberal, Marxist, Post-Colonial and Sub-altern.
- Sovereignty, Power, Authority, Legitimacy.
- Rights, Liberty, Equality, Justice, Citizenship.
- Concept of Democracy: Classical, Liberal & Marxist Theories; Models of Democracy: Representative, Participatory, Deliberative.
- Political Ideologies: Liberalism, Marxism, Conservatism.

### **3. Comparative Politics and Governments**

*(With Special Reference to Constitutional Frameworks of UK, USA, France, China & Canada)*

- Constitution, Types of Constitutions, Constitutionalism in Theory and Practice.
- Classification of Government: Democracy and Dictatorship, Unitary and Federal, Parliamentary and Presidential.
- Organs of Government: Theory of Separation of Powers, Executive, Legislature and Judiciary—their interrelationship in comparative perspective.
- Theories of Political parties, Types and functions of Political parties, Pressure Groups and Interest Groups.

### **4. Indian Constitution and Institutions**

- Making of Indian Constitution, Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy and Fundamental Duties.

- Constitutional Framework of Indian Federalism, Center-State Relations and institutions of Local Self Governments.
- Union Executive: President, Prime Minister and Council of Ministers. Parliament: Composition, Power and Role.
- Judiciary: Supreme Court, High Court, Judicial Review, Basic Structure Debate, Judicial Activism and Judicial Reforms.
- State Executive: Governor, Chief Minister and Council of Ministers. State Legislature: Composition, Power and Role.

### **5. Theories and Concepts of International Relations**

- Theories: Idealist, Realist, Neo-Realism, Systems, Marxist, Functionalist, Constructivism and Dependency.
- Approaches: Decision making, Game, Communication and Bargaining.
- Concepts: National Power and its elements, National Interest and its instruments, Balance of Power, Collective Security.
- Arms Race and Arms Control, Disarmament, Nature, Causes and Types of Wars.
- Emerging Concepts: Multiculturalism and Identity Politics, Regionalism, Green Politics, End of History.

### **6. Western Political Thought**

- Plato, Aristotle, Cicero, St. Thomas Aquinas.
- Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau.
- Bentham, J.S. Mill, Hegel, T.H. Green.
- Karl Marx, Gramsci, Habermas, Frantz Fanon.
- Hannah Arendt, John Rawls, Robert Nozick, Michael Walzer.

### **7. Political Theory**

- Nature and Need of Political Theory, its main concerns, decline and resurgence.
- Behaviouralism and Post-Behaviouralism. Fact-Value Dichotomy.
- System's Approach, Structural Functional Approach.
- Group Theory, Elite Theory, Rational Choice Theory.
- Nationalism: European and Non-European. Feminism and Post-Modernism.

## **8. Comparative Politics Analysis**

- Approaches to the study of Comparative Politics: Institutionalism and New Institutionalism, Political Culture, Political Development, Political Socialization.
- State in comparative perspective: Characteristics and changing nature of state in Capitalist and Socialist economies and advanced industrial and developing societies.
- Governance: Bureaucracy, Public Policy, Good Governance and Democratic Governance, Civil Society.
- Colonialism and Decolonization: Development and Under Development, Liberalization, Privatization and Globalization.
- Revolution and Resistance, Democratization. New Social Movements and Patterns of changes in contemporary societies.

## **9. Political Processes and Dynamics in India**

- Historical Background of Indian Politics: Making of India as a Nation State, Demands of Autonomy and Separatist movement, Emerging Trend in Centre-State relations, Practices of grass root democracy.
- Socio-Cultural Aspects of Indian Politics: Issue of Caste, Class, Religion, Ethnicity and Gender in Indian Politics, Civil Society, Social and Political Movements.
- National and Regional Political Parties, Ideological and Social bases of Parties, Trends in Electoral behavior, Electoral Reforms, Pressure Groups.
- Commentators of Indian Politics: Granville Austin, Morris Jones, Rudolph and Rudolph, Rajni Kothari, C.P. Bhambri and Amartya Sen.
- Polity of Rajasthan: Formation of Rajasthan; Different Phases of Political competition in Rajasthan, Determinants of Party Politics in Rajasthan, People's Movements in Rajasthan.

## **10. International Politics and Indian Foreign Policy**

- Rise of Super Powers, Cold War and Bi-Polarity, Non-Alignment Movement, End of Cold War and Remaking of the World order.
- United Nations: Objectives, structure and functioning, revision of the Charter. India's Contribution to United Nations.
- Regional and Sub-regional Organizations: SAARC, EU, ALBA, ASEAN, African Union, OPEC, BRICS, BIMSTEC, G-20.
- American Hegemony in Contemporary Global Order. Nuclear Proliferation and Disarmament, International Terrorism. Issue of Human Rights in International Politics.

- Political Economy of International Relations: From Bretton Woods to WTO, New International Economic Order, North-South Dialogue, South-South Co-operation, and Environmental issues.
  - India's relations with USA, Russia, China and European Union: India and its Neighbours, 'Look East' Policy, India and West Asia, Central Asia, Africa, Latin America. Indian Diaspora, Neo-Liberal Mould of Indian Foreign Policy.
-